संख्याः 66 /कार्मिक–2/2002

प्रेषक,

एस0कृष्णन्,
सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक विभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 14 जनवरी, 2002

विषयः 1.10.1986 के पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति किये गये कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश(लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) तदर्थ नियुक्तियों की 1.10.1986 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त किए गये कार्मिकों के विनियमितीकरण के संबंध में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे। कार्मिक विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे प्रकरण लाये गये हैं कि कतिपय विभागों में 1.10.1986 के बाद भी तदर्थ नियुक्तियाँ कियी गयी हैं।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 1.10.86 के पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों का यदि अभी तक नियमानुसार नियमितीकरण नहीं हो पाया हो, तो उ0 प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नियमितीकरण की कार्यवाही की जाये। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि 1.10.1986 के बाद भी तदर्थ नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में की गयी हैं। यद्यपि तदर्थ नियुक्तियों पर रोक रही है और नीतियों के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है, जिसके लिए 1.10.1986 के बद की तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में सूचना वांछित हैं। तदर्थ नियुक्तियाँ जो 1.10.1986 के बाद की गयी हैं उनमें तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति का नाम, पदनाम, वेतनमान, तदर्थ नियुक्ति की तिथि तथा तदर्थ नियुक्ति किये जाने के लिए

कारण का विवरण विभागों द्वारा उपलब्ध करायें। विभागों द्वारा प्रत्येक नियुक्ति के संबंध में यह भी अवगत कराया जायेगा कि तदर्थ नियुक्ति के बाद क्या कोई नियमित नियुक्ति हुई, और तदर्थ नियुक्त व्यक्ति को नियमित नियुक्त व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया। यदि नहीं किया गया तो उसका क्या कारण रहा है। तदर्थ नियुक्ति करने के लिए क्या कोई चयन प्रक्रिया अमल में लायी गयी है। चयन प्रक्रिया में आवेदन विज्ञापन द्वारा माँगें गये, अथवा सेवायोजन कार्यालय से माँगे गये, अथवा अन्य किसी प्रकार से नाम माँगे गये। चयन की कार्यवाही में लिखित अथवा साक्षात्कार परीक्षा आदि कोई ली गयी है तो उसका भी उल्लेख किया जाय।

अतः अनुरोध है कि 1.10.1986 से पूर्व से कार्यरत तदर्थ व्यक्तियों को विनियमितीकरण नियमावली 1989 के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमितीकरण की कार्यवाही यदि अभी शेष हो तो उसे अविलम्ब पूरा किया जाय। तथा जो व्यक्ति 1.101986 के बाद से तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये है तो उनके संबंध में उपरोक्तानुसार वांछित सूचना एक माह में कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय।

भवदीय,

(एस0कृष्णन्)
सचिव

संख्याः ६६ (1)/कार्मिक-2/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त सचिवालय के अनुभाग।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0रावत)
अपर सचिव